Low capacity utilisation of Heavy Vehicles Factory, Avadi

*79. DR. ALLADIP RAJKUMAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Heavy Vehicles Factory at Avadi, producing the country's present Main Battle Tank T-72 is running only at 35 percent capacity;

(b) whether this low capacity utilisation of HVF is due to the inability of the army to purchase more than 50 to 60 tanks per year for the lack of funds; and

(c) whether Govemment would make necessary funds available to the army to meet their current requirements of the Main Battle Tank T-72 through speedy upgradation at Avadi Factory?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) to (c) The prioritised requirement of the Army and the funding thereof are duly provided for having regard to (a) T-72 Tanks, (b) armoured recovery' ved-hiclcs, (c) rcpowering of Vijayanta Tanks and (d) overhaul of T-72 Tanks.

The utilisation of capacity at the Heavy Vehicle Factory, Avadi is computed in relation to these requirements and is currently about 80%.

Nationalisation of All Rivers

80. SHRI R. MARGABANBU: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to nationalise all rivers in India; and

(b) if so, the role of the Central Government to settle the river water dis-putes?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) There is no such proposal at present.

(b) When any request is received from any State Govemment in respect of any Inter-State Water Dispute for setting up a Tribunal and the Central Govemment is of opinion that the water dispute cannot be settled by negotiations, the Central Government can, by notification in the Official Gazette, constitute a Water Disputes Tribunal for the adjudication of the water dispute, under Inter-State Water Disputes Act, 1956.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

ओ.बी.लैटर जारी होने के बाद टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने में विलम्ब किया जाना

420.**श्री रामजीलाल**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओ.बी.लैटर जारी होने के बाद कितने दिनों में टेलीफोन कनेक्शन लगा दिया जाता है और चालू कर दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओ.बी.लैटर जारी होने के बाद भी अनेक उपभोक्ताओं को इसके लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां,तो सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने और इस संबध में समय सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णय कब तक लेगी तथा उसका सख्ती से पालन करवायेगी ?

संचार मंत्री(श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी हां,निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ओ बी पत्र जारी करने के 15 दिनों के अंदर टेलीफोन कनेक्शन संस्थापित तथा वालू किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) कुछ मामलों में,क्षेत्र के तकनीकी रूप से व्यवहार्थ न होने,केवल पेयरों,ओवर हेड लाइनों तथा संबंधित स्टोर की कमी आदि के कारण और बी जारी होने के बाद भी उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ता है विशेषकर उस समय जब नये टेलीफोनों के लिए ज्यादा संख्या में ओबी जारी किया गया हो। अधिक संख्या में ओ बी जारी किये जाने के मामलें में यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी व्यवहार्यता की पहले ही जांच कर ली जाए और तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र को छोड़ते हुए केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए ओ बी जारी किये जाएं तो तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो तथा अत्यवहार्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इसकी सूचना दी जानी चाहिए ।